न्यायालय : मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–2, बून्दी (राज0)
———

पीठासीन अधिकारी : पंकज नरूका
आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या : 325/2022
सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 325/2022
(सी.एन.आर. संख्या–RJBD050003982022)

गुन्नु उर्फ गुंजन पुत्री महेन्द्र आयु 05 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक पिता महेन्द्र , निवासी श्रीपुरा तहसील के0पाटन, जिला बूंदी।

.......प्रार्थिया

समेकित एमएसीटी प्रकरण संख्या–327/2022
सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 327/2022
(सी.एन.आर. संख्या–RJBD050004002022)

मधुबाला पत्नी महेन्द्र आयु 30 वर्ष निवासी श्रीपुरा तहसील के0पाटन, जिला बूंदी।

.......प्रार्थिया

समेकित एमएसीटी प्रकरण संख्या–328/2022
सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 328/2022
(सी.एन.आर. संख्या–RJBD050004012022)

महेन्द्र पुत्र रामेश्वर आयु 33 वर्ष, निवासी निवासी श्रीपुरा तहसील के0पाटन, जिला बूंदी।

.......प्रार्थी

समेकित एमएसीटी प्रकरण संख्या–326/2022
सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 326/2022
(सी.एन.आर. संख्या–RJBD050003992022)

प्रियांश पुत्र महेन्द्र आयु 03 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक पिता महेन्द्र, निवासी श्रीपुरा तहसील के0पाटन, जिला बूंदी।

.......प्रार्थी

विरूद्ध

1. संजीत कुमार पुत्र विश्वनाथ, निवासी महावीर चौक वार्ड नं0–41 थाना पुरानी टोंक जिला टोंक।
(वाहन चालक कार संख्या आर.जे.–14/सी.जी.–5170)

क्रमशः

2. हेमराज पुत्र किशनलाल, निवासी सोलग्या का मौहल्ला मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक।
(वाहन स्वामी कार संख्या आर.जे.–14/सी.जी.–5170)

3. यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लि0 जरिये मण्डलीय प्रबन्धक महोदय मण्डलीय कार्यालय झालावाड़ रोड़ कोटा।
(बीमाकर्ता कार संख्या आर.जे.–14/सी.जी.–5170)

.....अप्रार्थीगण

क्षतिपूर्ति याचिकाएं अंतर्गत धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम

———

उपस्थित :–
1. श्री अनिल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।
3. श्री अब्दुल रहीम, विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 12.02.2026**

1. प्रार्थीगण की ओर से उक्त चारों क्षतिपूर्ति याचिकाएं धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई हैं।

2. जिनमें से याचिका संख्या–325/2022, गुन्नु उर्फ गुंजन बनाम संजीत कुमार वगैरा दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् प्रार्थिया ने अपनी आयु 05 वर्ष, बताते हुए याचिका की चरण संख्या 24 व 25 के अनुसार क्षतिपूर्ति बाबत् कुल 56,10,000/– रुपये दिलवाए जाने की प्रार्थना की है।

3. इसी घटना से संबंधित समेकित याचिका संख्या–327/2022, मधुबाला बनाम संजीत कुमार वगैरा दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् प्रार्थिया ने अपनी आयु 30 वर्ष, आय–30,000/–रू, व्यवसाय सिलाई, कड़ाई, बुनाई व कुकिंग करना बताते हुए याचिका के चरण संख्या–24 व 25 के अनुसार क्षतिपूर्ति बाबत् कुल 2,42,00,000/–रू दिलवाए जाने की प्रार्थना की है।

4. इसी घटना से संबंधित समेकित याचिका संख्या–328/2022, महेन्द्र बनाम संजीत कुमार वगैरा दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् प्रार्थी ने अपनी आयु 33 वर्ष, आय–30,000/–रू, व्यवसाय कृषि कार्य एवं प्रोपर्टी डिलींग करना बताते हुए याचिका के चरण संख्या–24 व 25 के अनुसार क्षतिपूर्ति बाबत् कुल 1,55,50,000/–रू दिलवाए जाने की प्रार्थना की है।

क्रमशः

5. इसी घटना से संबंधित समेकित याचिका संख्या–326/2022, प्रियांश बनाम संजीत कुमार वगैरा दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् प्रार्थी ने अपनी आयु 03 वर्ष बताते हुए याचिका के चरण संख्या–24 व 25 के अनुसार क्षतिपूर्ति बाबत् कुल 65,00,000/–रू दिलवाए जाने की प्रार्थना की है।

6. उपरोक्त चारों याचिकाऐं एक ही घटना से सम्बंधित होने के कारण पूर्व में समेकित की गई हैं, अतः इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

7. न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना दिनांक 05.01.2021 को दोहपर 02 बजे करीब प्रार्थीगण मोटरसाईकिल पर बैठकर श्रीपुरा से केथूदा जा रहे थे। उक्त मोटरसाईकिल को उसका चालक सावधानीपूर्वक, नियंत्रित गति से धीरे–धीरे से अपनी सही साईड बांयी ओर चला रहा था कि फोरलेन सड़क पर लाम्बापीपल के समीप अप्रार्थी संख्या–1 संजीत कुमार ने अपनी कार संख्या आर.जे.–14/सी.जी.–5170 को बूंदी की तरफ से तेजगति, गफलत, लापरवाही व असावधानीपूर्वक अनियंत्रित गति से चलाते हुए बिना हॉर्न व संकेत दिए प्रार्थीगण की साईड पर आकर उनकी मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थीगण के शरीर पर गंभीर व साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुईं।

8. पुलिस द्वारा दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–0020/2021, थाना–तालेड़ा, जिला बूंदी में दर्ज कर बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या–1 के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

9. प्रार्थीगण के अनुसार कार संख्या आर.जे.–14/सी.जी.–5170 अप्रार्थी संख्या–2, हेमराज पुत्र किशनलाल के स्वामित्व की होना जाहिर किया गया है।

10. अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से उक्त चारों याचिकाओं के संबंध में कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 11.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

11. अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत कर क्लेम याचिका के अधिकांश तथ्यों को मद्वार अस्वीकार कर कथन किया गया है कि तथाकथित दुर्घटना बीमित वाहन से कारित नहीं हुई और ना ही दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या–1 की कोई लापरवाही रही है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या घटना बनाते हुए क्लेम राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त वाहन के विरुद्ध काफी देरी से 10 दिन बाद मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तथाकथित दुर्घटना स्वयं प्रार्थीगण की गफलत व लापरवाही के कारण व किसी अन्य कारणों से हुई है। बवक्त दुर्घटना बीमित वाहन चालक के पास वाहन को चलाने का वैध एवं

प्रभावी डी0एल0 नहीं था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। विपक्षी बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147, 149 तथा बीमा एक्ट की धारा 64 वी.बी. के तहत संरक्षण प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त प्रकरण में दुर्घटना के संबंध में विपक्षी कंपनी को मोटरयान अधिनियम की धारा 158 (6) की पालना नहीं की गई है, जो कि विधि के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त क्लेम के निस्तारण में यदि प्रार्थीगण के पक्ष अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो प्रार्थीगण अवॉर्ड राशि पर उस समय अवधि के ब्याज की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। किसी कारणवश तथाकथित दुर्घटना कारित होने में उक्त वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या–1 की कोई गफलत व लापरवाही मानी जाती है तो दुर्घटना के कारित होने में प्रार्थीगण की भी लापरवाही रही है। अतः प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की भी कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंसी का निर्धारण किया जावे। अतः प्रार्थीगण का क्लेम बीमा कंपनी के खिलाफ खर्चे सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

12. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर इन याचिकाओं के सम्बंध निम्न लिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया दिनांक 05.01.2021 को कार संख्या–आर.जे. 14/सी.जी.–5170 के चालक विपक्षी संख्या–1 के द्वारा उक्त वाहन को तेजगति व असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की गई, जिसमें कि गुन्नु उर्फ गुंजन, प्रियांश, मधुबाला व महेन्द्र को स्थायी अपंगता व चोटें कारित हुईं ?

........प्रार्थीगण

2. आया वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–1 कार संख्या–आर.जे. 14/सी.जी. –5170 को अप्रार्थी संख्या–2 के नियोजन व हितार्थ चला रहा था ?

.........प्रार्थीगण

3. आया विपक्षीगण के जवाब की चरण संख्या, अतिरिक्त आपत्तियों में वर्णित कारणों से विपक्षीगण उत्तरदायी नहीं हैं ?

..........अप्रार्थीगण

4. आया प्रार्थी/प्रार्थीगण, विपक्षीगण से क्लेम प्रार्थना पत्र में अंकित राशि/राशियां बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि है तो किस–किस विपक्षी से तथा कितनी–कितनी राशि ?

.........प्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

13. उपरोक्त तनकीयात के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में ए.ड.1 मधुबाला (आहत) तथा गवाह ए.ड. 2 महेन्द्र (आहत) के बयान करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–180 तक के दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

क्रमशः

14. खंडन में विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

15. बहस अंतिम सुनी गई।

16. प्रार्थीगण की ओर से बहस की गई है कि स्वयं प्रार्थीगण मधुबाला व महेन्द्र द्वारा अपने–अपने सशपथ कथनों से ए.ड. 1 व ए.ड. 2 के रूप में परीक्षित होते हुए विवाद्यक संख्या–1 में बताए अनुसार दुर्घटना को साबित किया है, गवाहान द्वारा दौराने अनुसंधान तैयार किए गए दस्तावेजात आरोप पत्र इत्यादि को दौराने साक्ष्य प्रदर्शित करवाया है तथा दुर्घटना के समस्त तथ्यों की पुष्टि अपने सशपथ कथनों से की है, याचीगण/आहतों की ओर से दुर्घटना में उन्हें हुई क्षति को साबित किया गया है, अतः प्रार्थीगण की याचिका स्वीकार कर चाही गई क्षतिपूर्ति राशि का पंचाट जारी किया जावे।

17. खंडन में विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी का दौराने बहस कथन रहा है कि दुर्घटना दिनांक 05.01.2021 की बताई गई है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना के लगभग 09 दिन पश्चात दिनांक 14.01.2021 को देरी से दर्ज करवाई गई है जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। यह भी बहस रही है कि प्रार्थीगण से की गई जिरह में दुर्घटनास्थल से संबंधित तथ्य में घोर विरोधाभास है। प्रार्थीगण द्वारा मिलीभगत कर केवल मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की बदनियति से बीमित वाहन को दुर्घटना में झूंठा लिप्त कराया गया है तथा दुर्घटना में बीमित वाहन की कोई लिप्तता साबित नहीं है।

18. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अध्योपांत अवलोकन किया गया।

19. कायम की गई तनकीयात पर इस न्यायाधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या–1, 2 व 3

तनकी संख्या–1 व 2 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर तथा तनकी संख्या–3 को साबित करने का भार विपक्षीगण पर रहा है। उक्त तनकीयात एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। अतः उक्त तनकीयात को एक साथ निर्णीत किया जा रहा है।

20. तनकी संख्या–1 के संबंध में स्वयं याचीगण गवाह ए.ड. 1 मधुबाला तथा गवाह ए.ड. 2 महेन्द्र ने अपने–अपने सशपथ कथनों में याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए एक समान कथन किया है कि दिनांक 05.01.2021 को वह मोटरसाईकिल से श्रीपुरा से अपने गांव केथूदा जा रहे थे। जैसे ही वह लाम्बापीपल के पास पहुंचे कि कार संख्या–आर.जे. 14/सी.जी.–5170 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति से चलाते हुए उनकी मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गए। उक्त

दुर्घटना में उनके शरीर पर गंभीर व साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई। उक्त चोटों के इलाज हेतु उन्हें सुधा अस्पताल में भर्ती करवाया।

21. इस प्रकार उक्त गवाहान ने अपने–अपने सशपथ कथनों से याचिका में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है एवं दौराने साक्ष्य अनुसंधान के कागजात को प्रदर्शित करवाया गया है, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा मौका, फर्द डेमेज मोटरसाईकिल, मोटरसाईकिल के बिल, जवाब नोटिस अन्तर्गत धारा 133 मोटरयान अधिनियम, आर0सी0, डी0एल0, बीमा, सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा, चोट प्रतिवेदन, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज टिकिट, इलाज के बिल व पर्चे, मैकेनिकल मुआयना, फर्द जब्ती, गुन्नु का स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र, सीटी स्केन, प्रियांश का स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र, रसीद, डॉक्टरी पर्चे तथा दवाईयों के बिल इत्यादि अनुसंधान के दौरान प्राप्त किए गए व तैयार किए गए सभी दस्तावेजात को दौराने साक्ष्य प्रदर्शित करवाया गया है।

22. अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ए.ड. 01 मधुबाला के द्वारा जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि उनके पीछे कार आ रही थी। कट पर जैसे ही मुडे कार ने पीछे से टक्कर मार दी। उसे पता नहीं है कि दुर्घटनास्थल पर पुलिस आयी थी या नहीं, वह तो बेहाश हो गई थी। वह दुर्घटना के 04 दिन तक बेहोश रही थी। मोटरसाईकिल पर वह, उसका पति व उसके दो बच्चे थे। यह कहना सही है कि जिस गाडी ने उसके टक्कर मारी हो उस गाडी को उसने नहीं देखा। यह कहना गलत है कि दुर्घटना में उसके कोई चोट नहीं आयी हो। यह कहना गलत है कि दुर्घटना उसके पति की गफलत व लापरवाही के कारण हुई हो।

23. इसी प्रकार अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ए.ड. 02 महेन्द्र के द्वारा जिरह में कथन किया है कि वह उसकी मोटरसाईकिल पर ही जा रहा था। दुर्घटना के समय वह बूंदी से कोटा की ओर जा रहा था। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। नक्शा मौका पर दुर्घटना कट पर दर्शायी गई हो तो वह नहीं बता सकता। अजखुद कहा कि अचानक पीछे से तेजी व लापरवाही से आकर टक्कर मारी थी। वह तो बच्चे को संभालने में लग गया। यह कहना गलत है कि घटना अचानक रोड क्रॉस करने के कारण उसकी लापरवाही से हुई हो। यह कहना गलत है कि इसलिए उस दिन कोई रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस को नहीं दी गई हो।

24. इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से ए.ड. 1 मुधबाला (आहत) तथा गवाह ए.ड. 2, महेन्द्र (आहत) ने क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुष्टि में अनुसंधान के दस्तावेजात की प्रतियों को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है तथा गवाह ए.ड. 1 व 2 दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल पर सवार थे, उक्त दोनों गवाहान द्वारा दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि न्यायाधिकरण के समक्ष की है, इसके विपरीत कोई साक्षी या दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है जो विपक्षीगण की प्रतिरक्षा को साबित करता हो या विवाद्यक संख्या–1 में वर्णितानुसार घटना पर

किसी प्रकार का कोई संदेह ही उत्पन्न करता हो। इस प्रकार पुलिस अनुसंधान के दस्तावेजात्, गवाहान् ए.ड. 01 मधुबाला व ए.ड. 02 महेन्द्र (स्वयं आहतगण/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) के सशपथ कथनों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 05.01.2021 को प्रश्नगत कार संख्या–आर.जे. 14/सी.जी.–5170 को अप्रार्थी संख्या–1 संजीत कुमार पुत्र विश्वनाथ द्वारा तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर तथाकथित स्थान पर प्रार्थीगण की मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार प्रार्थीगण के शरीर पर गंभीर व साधारण उपहतियां कारित हुई, जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण के चोट प्रतिवेदन व प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजात् व सशपथ कथनों से होती है। दिनांक 14.01.2021 को पुलिस थाना तालेड़ा, जिला बूंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0020/2021 रिपोर्टकर्ता/प्रार्थी महेन्द्र पुत्र रामेश्वर द्वारा एक कार संख्या–आर. जे. 14/सी.जी.–5170 को संजीत कुमार पुत्र विश्वनाथ द्वारा तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर तथाकथित स्थान पर प्रार्थीगण की मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना बताकर दर्ज कराई गई है, जिस पर बाद अनुसंधान पुलिस ने प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना में आलिप्त मानकर बतौर सबूत जब्त किया, जो फर्द जप्ती प्रदर्श–165 है। जवाब नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट में स्वयं वाहन चालक ने बवक्त दुघटना तथाकथित स्थान पर प्रश्नगत वाहन का चालन स्वयं द्वारा किया जाना स्वीकार किया है। नक्शा मौका प्रदर्श–3 में एनएच 52 लाम्बापीपल कट पर ''एक्स'' स्थान पर दुर्घटनास्थल को दर्शाया गया है तथा पीछे से प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या–1 के मोटरसाईकिल के टक्कर मारना अंकित है, जिससे दुर्घटना में विपक्षी संख्या–1 की गफलत व लापरवाही स्पष्ट दर्शित होती है। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–164 में प्रश्नगत वाहन का आगे का ग्लास टूटा हुआ होना, बोनट टक्कर लगने से अन्दर की ओर धंसा हुआ होना, रेडियेटर मुड़ने से फूट जाना तथा फ्रन्ट की दोनों लाईटे टूटी हुई होना अंकित है, एवं पुलिस ने बाद अनुसंधान दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या–1 की गफलत व लापरवाही प्रमाणित मानकर उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान अंतर्गत धारा 279, 337 व 338 भा.दं.सं. में पेश किया। गवाहन् ए.ड. 01 मधुबाला व ए.ड. 02 महेन्द्र स्वयं याचीगण/प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने वाहन कार संख्या–आर.जे. 14/सी.जी.–5170 को चालक विपक्षी संख्या–1 संजीत कुमार द्वारा तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर तथाकथित दुर्घटना कारित किए जाने व स्वयं के शरीर पर गंभीर व साधारण उपहतियां कारित होने के तथ्य को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है एवं गवाहन् की प्रतिपरीक्षा के कथनों में भी ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है, जिससे दुर्घटना पर कोई संदेह उत्पन्न होता हो। विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत वाहन को गफलत व लापपरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किए जाने के तथ्य के खण्डन में किसी प्रकार की कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार स्वयं आहत ने अपने सशपथ कथनों से याचिका के तथ्यों की पुष्टि की है।

25. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी का मुख्य एतराज रहा है कि बीमा कंपनी से क्लेम राशि लेने की नीयत से प्रार्थी ने वाहन चालक/स्वामी व पुलिस से मिलीभगत कर 09 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट बीमित के विरुद्ध दर्ज कराकर संलिप्त किया है, तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि तथाकथित दुर्घटना दिनांक 05.01.2021 को घटित हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद प्रार्थीगण को इलाज हेतु सुधा हॉस्पिटल, कोटा में भर्ती करवाया गया, जिसकी पुष्टि डिस्चार्ज टिकिट 14 व मेडिकल दस्तोवजात से होती है। तत्पश्चात स्वयं प्रार्थी महेन्द्र द्वारा पुलिस थाना तालेड़ा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिस पर पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में लिप्तता मानते हुए जब्त किया तथा उक्त वाहन के चालक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337 व 338 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देरी अपने आप में अविश्वास किए जाने का कोई आधार नहीं है, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाए कि किसी प्रकार की मिलीभगत कर गलत रूप से वाहन को फंसाने के कारण देरी की गई हो, किन्तु ऐसी कोई साक्ष्य विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त आहत अथवा उसके परिजनों से घटना के पश्चात उपचार के स्थान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्राथमिकता दिया जाना व्यावहारिक नहीं माना जा सकता है। निश्चित ही कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस के समक्ष जाने से अधिक महत्वपूर्ण सर्वप्रथम आहत को उपचार उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार केवल मात्र प्रथम सूचना रिपार्ट देरी से दर्ज करवाने को ही दुर्घटना में गलत रूप से वाहन इत्यादि को संलिप्त करवाने की साक्ष्य नहीं मानी जा सकती है, बल्कि विशिष्ट साक्ष्य द्वारा इस तथ्य को विपक्षीगण की ओर से साबित किया जाना चाहिए, किन्तु उनके द्वारा इस संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना में झूंठा संलिप्त किए जाने की पुष्टि होती हो। अतः बीमा कंपनी की ओर से की गई उक्त आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाती है।

26. तनकी संख्या–3 के संबंध में विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अपने जवाब में प्रस्तुत प्रतिरक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है, जिससे दुर्घटना के तथ्यों का खंडन होता हो, विपक्षी संख्या–1 की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श–08 है, जिससे ड्राईविंग लाईसेंस की वैधता अवधि 08.12.2016 से दिनांक 23.12.2029 तक होना अंकित है, बीमा पोलिसी प्रदर्श–9 से प्रश्नगत वाहन का बीमा विपक्षी संख्या–3, बीमा कंपनी के यहां दुर्घटना दिनांक को कवर करते हुए दिनांक 07.07.2021 तक होना व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श–07 से प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या–2 हेमराज पुत्र किशनलाल का होना प्रकट होता है। जवाब नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श–06 में स्वयं को प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा वरवक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का चालन स्वयं द्वारा चलाया जाना बताया है, एवं पुलिस ने बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या–1 संजीत कुमार की दुर्घटना में गफलत व लापरवाही प्रमाणित मानकर उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान अंतर्गत धारा 279, 337 व 338 भा.दं.सं. पेश

किया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह प्रमाणित हो जाता है कि दुर्घटना के समय विपक्षी संख्या–1 संजीत कुमार द्वारा प्रश्नगत वाहन कार संख्या–आर. जे. 14/सी.जी.–5170 का चालन अप्रार्थी संख्या–2 हेमराज के लाभार्थ व हितार्थ में तेजगति, गफलत व लापरवाहीपूर्वक कर तथाकथित स्थान प्रार्थीगण की मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप प्रार्थीगण गुन्नु उर्फ गुंजन, मधुबाला, महेन्द्र व प्रियांश के शरीर पर गंभीर व साधारण उपहतियां/स्थायी निःशक्तता कारित हुई है।

27. इस प्रकार विपक्षीगण को ही अपनी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से जवाब याचिका में अंकित की गई प्रतिरक्षाओं को साबित करना था, किन्तु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, विपक्षीगण की ओर से किसी भी प्रकार की विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

28. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार चूंकि प्रार्थी के द्वारा दुर्घटना के समस्त तथ्यों को साबित करते हुए तनकी संख्या 01 व 02 को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जा चुका है। जबकि विपक्षीगण की ओर से तनकी संख्या 03 को साबित नहीं किया जा सका है। अतः तनकी संख्या 01 व 02 प्रार्थी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 03 विपक्षीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या – 4 व 5

तनकी संख्या–1 व 2 प्रार्थीगण/याचीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या–3 विपक्षीगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार निर्णीत किया जा चुका है, ऐसे में याचिका संख्या 325/2022, 327/2022, 328/2022 व 326/2026 के प्रार्थीगण/याचीगण विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(याचिका संख्या–325/2022 गुन्नु उर्फ गुंजन बनाम संजीत कुमार वगैरा)

29. प्रार्थिया द्वारा अपनी याचिका के पैरा संख्या–24 व 25 में कुल प्रतिकर राशि 56,10,000/–रू अदा किए जाने की मांग की है परंतु गवाहन् ने उक्त संपूर्ण राशि की प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

30. आहत की ओर अपनी क्लेम याचिका में कथन किया है कि दुर्घटना के बाद उसने कारित चोटों का ईलाज सुधा अस्पताल कोटा में भर्ती रहकर करवाया।

31. चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर प्रस्तुत है, हालांकि चोट प्रतिवेदन आदि साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए है किन्तु इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उन्हें साक्ष्य में पढ़े जाने की अनुमति आदेश दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से दी जा चुकी है अन्यथ भी प्रदर्शित होना केवल मात्र एक तकनीकी आवश्यकता है। दस्तावेजात का साक्ष्य में पूर्व में पर्याप्त रूप से उल्लेख रहा

क्रमशः

है। अतः इस प्रकार उक्त चोट प्रतिवेदन से प्रार्थिया के सिर में सामने की तरफ 01 गंभीर प्रकृति की चोट कारित होना प्रकट होता है, अतः प्रार्थिया को 01 गंभीर चोट के मद में 10,000 / – रुपये प्रति गंभीर चोट की दर से 10,000 x 01 = **10,000 / – रुपये** दिलाया जाना न्यायोचित है।

32. इलाज पर किए गए खर्च के मद में क्षतिपूर्ति राशि हेतु प्रार्थिया की ओर से कोई मेडिकल बिल पेश नहीं किया गया है, अतः इस मद में प्रार्थिया कोई राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

33. अस्पताल में प्रार्थिया के भर्ती रहने के संबंध में कोई डिस्चार्ज टिकिट प्रार्थिया की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः भर्ती रहने के दौरान किए गए आनुसांगिक खर्च के मद में प्रार्थिया कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

34. परिवहन के मद में राशि हेतु प्रार्थिया की ओर से कोई परिवहन बिल प्रदर्शित नहीं कराया गया है, अतः इस मद में प्रार्थिया को कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नही है।

35. प्रार्थिया की ओर से प्रदर्श–166 के रूप में स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत स्थाई अपंगता होना चिकित्सक मंडल द्वारा प्रार्थिया के सिर पर सामने की तरफ गंभीर चोट कारित चोट के आधार पर दर्ज की गई है एवं जिससे उसकी कार्य क्षमता कमी आयी है। हालांकि चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है किन्तु प्रार्थिया की साक्ष्य के खंडन में विपक्षी की ओर से इस संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में यदि चिकित्सक को परीक्षित नहीं भी कराया है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। प्रार्थिया की ओर से स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु निर्योग्यता के संबंध में जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है, याची की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसकी आय में किस प्रकार से 10 प्रतिशत कमी हो गई है, निश्चित ही शरीर के किसी भाग में गंभीर चोट आने के उपरांत किसी अंग विशेष की निर्योग्यता 10 प्रतिशत चिकित्सक मंडल द्वारा अंकित की गई है, ना कि आहत के संपूर्ण शरीर की 10 प्रतिशत निर्योग्यता, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि आहत की आय में 10 प्रतिशत की कमी हुई हो, इस प्रकार आहत गुन्नु के उक्त स्थाई निर्योग्यता के कारण भविष्य की आय में **05 प्रतिशत** की कमी होना तय पाई जाती है।

36. प्रार्थिया की आयु के संबंध में उसकी ओर से याचिका में अपनी आयु 05 वर्ष होना अंकित किया गया है, फोटो प्रति आधार में प्रार्थिया की जन्मतिथि 21.03.2016 अंकित है, जिससे वरवक्त दुर्घटना आहत की उम्र 04 वर्ष 06 माह होती है, ऐसे में अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उक्त दस्तावेजात् के मुताबिक आहत की दुर्घटना दिनांक को आयु 04 वर्ष 06 माह होना निर्णीत किया जाता है।

37. आय के संबंध में याची की ओर से याचिका में अंकित किया गया है कि वह अध्ययन करती थी। हस्तगत प्रकरण में आहत की आयु 04 वर्ष 06 माह तय हुई है, जिससे स्पष्ट है कि आहत नाबालिग थी, जिसका कथन स्वयं गवाह ए.ड. 01 मधुबाला ने भी अपने सशपथ कथनों में किया है।

38. चूंकि आहत विद्यार्थी थी और उसकी आय को साबित नहीं किया जा सका है, ऐसे में बालकों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किशनगोपाल व अन्य बनाम लाल व अन्य **2014 (1) SCC 244** न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार काल्पनिक आय 30,000/– वार्षिक माना जाना न्यायोचित पाया जाता है, जिसकी **05** प्रतिशत के आधार पर 1,500/–रू वार्षिक प्रार्थिया को आय की क्षति होने की संभावना मानते हुए प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

39. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत किशनगोपाल बनाम लाला व अन्य में मृतका बालिका की मृत्यु के कारण माता–पिता को हुई क्षति के दृष्टिगत माता की उम्र 30 वर्ष होने के आधार पर न्यायिक दृष्टांत सरला वर्मा में निर्देशित गुणांक 17 को उपयोग में लेते हुए क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया। न्यायिक दृष्टांत किशनगोपाल बनाम लाला में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में भी चूंकि आहत बालिका की माता की आयु याचिका में 30 वर्ष अंकित है, जिसके खंडन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसे में सरला वर्मा के दृष्टांत में निर्देशित गुणांक 17 उपयोग में लिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

40. वर्तमान प्रकरण में नाबालिग आहत की माता की आयु 30 वर्ष निर्णीत हुई है जिसके अनुसार 1,500 X 17 = **25,500/– रू** याचिकाकर्ता को आय के नुकसान के मद में विपक्षीगण से दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

41. इसके अतिरिक्त आहत गुन्नु को दुर्घटना में आई चोटों के कारण काफी पीडा, कष्ट एवं वेदना का सामना करना पड़ा ऐसे में उनके द्वारा भुगती गई पीडा, कष्ट एवं वेदना के मद में आहत को **25,000/– रू** दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

42. इस प्रकार प्रार्थिया गुन्नु मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् अप्रार्थीगण से कुल– **10,000 + 25,500 + 25,000 = 60,500/–रू0 (अक्षरेः साठ हजार पांच सौ रुपये मात्र)** संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है।

43. इस प्रकार प्रार्थिया गुन्नु मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् विपक्षीगण से कुल– **60,500/–रू0 (अक्षरेः साठ हजार पांच सौ रुपये मात्र)** तथा साथ ही याचिका प्रस्तुति की दिनांक 14.06.2022 से अदायगी तक उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(याचिका संख्या–327 / 2022 मधुबाला बनाम संजीत कुमार वगैरा)

44. प्रार्थिया द्वारा अपनी याचिका के पैरा संख्या–24 व 25 में कुल प्रतिकर राशि 2,42,00,000 / –रू अदा किए जाने की मांग की है परंतु गवाह ए.ड. 2 मधुबाला ने उक्त संपूर्ण राशि की प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

45. आहत मधुबाला ने अपनी क्लेम याचिका में कथन किया है कि दुर्घटना के बाद उसे सुधा हॉस्पिटल, कोटा में भर्ती करवाया गया, जहां उसने कारित चोटों का इलाज करवाया।

46. चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–12 दौराने साक्ष्य प्रदर्शित हुआ है, जिसमें प्रार्थिया के दोनों घुटनों व सिर में 03 साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना चिकित्सक द्वारा एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर अंकन किया गया है, अतः प्रार्थिया को 03 साधारण चोट के मद में 3,000 / –रुपये की दर से **9,000 / –रुपये** दिलाया जाना न्यायोचित है।

47. ईलाज पर किए गए खर्च के पेटे मेडिकल बिल व पर्चियां प्रदर्श–28 लगायत 131 प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें बिल प्रदर्श–30, 31, 34, 36, व 75 एडवांस बिल पर्ची है जो प्रदर्श–28 फाईनल बिल में समायोजित है तथा प्रदर्श–38, 103 प 109 को दो बार गणना में शामिल किया गया है जो एक बार गणनीय है, शेष बिल राशि 1,47,264 / –रुपये के है, जिनके संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में इलाज पर हुए खर्च के रूप में प्रार्थी को **1,47,264 / –रू दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।**

48. अस्पताल में प्रार्थिया के भर्ती रहने के संबंध में डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श–14 प्रदर्शित कराया गया है, जिससे प्रार्थिया का दिनांक 05.01.2021 से दिनांक 17.01.2021 तक कुल 13 दिन कारित चोटों के संदर्भ में प्रार्थिया का सुधा अस्पताल, कोटा में भर्ती रहना प्रकट होता है। ऐसे में प्रार्थिया भर्ती रहने व उसके आनुसांगिक खर्च व पौष्टिक आहार के पेटे 1,000 / –रू प्रति दिवस के हिसाब से कुल **13,000 / – रू** क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

49. प्रार्थिया की ओर से परिवहन के रूप में खर्च की जाने वाली राशि के संबंध किसी प्रकार का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसे में प्रार्थिया को इस मद में कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है।

50. प्रार्थिया की ओर से प्रदर्श–13 के रूप में स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है, जिसमें 33 प्रतिशत स्थाई अपंगता होना चिकित्सक मंडल द्वारा प्रार्थी के कारित चोटों के आधार पर दर्ज की गई है एवं प्रार्थिया ने अपने सशपथ कथनों में बताया है कि दुर्घटना में उसके शरीर पर गंभीर चोटें कारित होने से उसकी कार्यक्षमता में कमी आई है, हालांकि चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है, किन्तु प्रार्थिया की साक्ष्य

क्रमशः

के खंडन में विपक्षी की ओर से इस संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में यदि चिकित्सक को परीक्षित नहीं भी कराया है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आहत मधुबाला के कोई अस्थिभंग अथवा गंभीर उपहति चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–12 में नहीं दर्शायी गई है, किन्तु प्रदर्श–15 सिर की MRI Scan में Contusions पाये गए हैं, जिसके आधार पर चिकित्सक बोर्ड द्वारा प्रार्थिया स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थिया की ओर से स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु निर्योग्यता के संबंध में जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है, याची की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसकी आय में किस प्रकार से 33 प्रतिशत कमी हो गई है, निश्चित ही शरीर के किसी भाग में गंभीर चोट आने के उपरांत किसी अंग विशेष की निर्योग्यता 33 प्रतिशत चिकित्सक मंडल द्वारा अंकित की गई है, ना कि आहत के संपूर्ण शरीर की 33 प्रतिशत निर्योग्यता, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि आहत की आय में 33 प्रतिशत की कमी हुई हो, इस प्रकार आहत के उक्त स्थाई निर्योग्यता के कारण भविष्य की आय में **17 प्रतिशत** की कमी होना तय पाई जाती है।

51. प्रार्थिया की आयु के संबंध में उसकी ओर से याचिका में अपनी आयु 30 वर्ष होना अंकित किया गया है, प्रार्थिया की आयु के संबंध में याचिका के साथ प्रार्थिया के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की गई है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 04.07.1991 अंकित है, ऐसे में अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उक्त दस्तावेजात् के मुताबिक आहत की दुर्घटना दिनांक को आयु 29 वर्ष 06 माह होना निर्णीत किया जाता है, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता की आयु 29 वर्ष 06 माह होने से 17 के गुणांक से प्रतिकर राशि की गणना किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

52. आय के संबंध में याची की ओर से याचिका व सशपथ कथनों में अंकित किया गया है कि वह दुर्घटना से पूर्व सिलाई, कडाई व बुनाई करके मासिक 30,000/– रुपये अर्जित कर लेती थी, किन्तु गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने अपनी आय व व्यवसाय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में आहत को एक अकुशल श्रमिक माना जाना न्यायोचित है और घटना की दिनांक 05.01.2021 को प्रभावी श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.07.2020 के मुताबिक एक अकुशल श्रमिक की प्रतिमाह की आय 6,552/–रू निर्धारित है, जिसकी **17** प्रतिशत के आधार पर 1,113/–रू प्रतिमाह प्रार्थिया को आय की क्षति होने की संभावना मानते हुए प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

53. वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता की आयु 29 वर्ष 06 माह निर्णीत हुई है जिसके अनुसार 1,113 X 12 X 17 = **2,27,052/– रू** याचिकाकर्ता को आय के नुकसान के मद में विपक्षीगण से दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

54. इस प्रकार प्रार्थिया मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् अप्रार्थीगण से कुल– **9,000 + 1,47,264 + 13,000 + 2,27,052 = 3,96,316/–रू0 (अक्षरे : तीन लाख छियानबे हजार तीन सौ सौलह रुपये मात्र)** संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

55. इस प्रकार प्रार्थिया मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् विपक्षीगण से कुल– **3,96,316/–रू0 (अक्षरे : तीन लाख छियानबे हजार तीन सौ सौलह रुपये मात्र)** तथा साथ ही याचिका प्रस्तुति की दिनांक 14.06.2022 से अदायगी तक उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(याचिका संख्या–328/2022 महेन्द्र बनाम संजीत कुमार वगैरा)

56. प्रार्थी द्वारा अपनी याचिका के पैरा संख्या–24 व 25 में कुल प्रतिकर राशि 1,55,50,000/–रू अदा किए जाने की मांग की है परंतु गवाह ए.ड. 1 महेन्द्र ने उक्त संपूर्ण राशि की प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

57. आहत महेन्द्र ने अपनी क्लेम याचिका में कथन किया है कि दुर्घटना के बाद वह कारित चोटों के संदर्भ में कोटा अस्पताल में भर्ती रहा है, जहां उसके कारित चोटों का इलाज किया गया।

58. चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर प्रस्तुत किया गयाहै, जिसमें आहत को कुल 01 चोट साधारण प्रकृति की कारित होना चिकित्सक की ओर से एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर अंकित किया गया है, इस कारण आहत को 01 साधारण चोट के मद में 3,000/– रुपये प्रति साधारण चोट की दर से 3,000 x 01 = **3,000/–रू** इस मद में दिलाया जाना न्यायोचित है।

59. इलाज पर किए गए खर्च के मद में क्षतिपूर्ति राशि हेतु प्रार्थी की ओर से कोई मेडिकल बिल पेश नहीं किया गया है, अतः इस मद में प्रार्थी कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

60. अस्पताल में प्रार्थी के भर्ती रहने के संबंध में कोई डिस्चार्ज टिकिट प्रार्थी की ओर से प्रदर्शित नहीं कराया गया है। अतः भर्ती रहने के दौरान किए गए आनुसांगिक खर्च के मद में प्रार्थी कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

61. प्रार्थी की ओर से कोई स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः स्थाई निर्योग्यता के कारण भविष्य की आय की क्षति के मद में कोई राशि दिलाए जाने का मामला नहीं बनता है।

62. परिवहन के मद में क्षतिपूर्ति राशि हेतु प्रार्थी की ओर से कोई परिवहन बिल पेश नहीं किया गया है, अतः इस मद में भी प्रार्थी कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

कमशः

63. इस प्रकार प्रार्थी मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् केवल Pain & Suffering के मद में **3,000/–रू0 (अक्षरे तील हजार रुपये)** अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

64. चूंकि याची को इस प्रकरण में धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पूर्व में अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है, इस प्रकार प्रार्थी महेन्द्र मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् विपक्षीगण से कुल– **3,000/–रू0 (अक्षरे तीन हजार रुपये मात्र)** तथा साथ ही याचिका प्रस्तुति की दिनांक 14.06.2022 से अदायगी तक उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(याचिका संख्या–326/2022 प्रियांश बनाम संजीत कुमार वगैरा)

65. प्रार्थी द्वारा अपनी याचिका के पैरा संख्या–24 व 25 में कुल प्रतिकर राशि 65,00,000/–रू अदा किए जाने की मांग की है परंतु गवाहन् ने उक्त संपूर्ण राशि की प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

67. आहत की ओर अपनी क्लेम याचिका में कथन किया है कि दुर्घटना के बाद उसने कारित चोटों का ईलाज कोटा अस्पताल में रहकर करवाया।

68. चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर प्रस्तुत है, जिससे प्रार्थी के बांये पैर में 01 गंभीर प्रकृति की चोट कारित होना प्रकट होता है, अतः प्रार्थी को 01 गंभीर चोट के मद में 10,000/– रुपये प्रति गंभीर चोट की दर से 10,000 x 01 = **10,000/– रुपये** दिलाया जाना न्यायोचित है।

69. ईलाज पर किए गए खर्च के पेटे मेडिकल बिल व पर्चियां प्रदर्श–169 व 173 लगायत 180 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, जो राशि 5,841/–रुपये के है, जिनके संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में इलाज पर हुए खर्च के रूप में प्रार्थी को **5,841/–रू दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।**

70. अस्पताल में प्रार्थी के भर्ती रहने के संबंध में कोई डिस्चार्ज टिकिट प्रार्थी की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः भर्ती रहने के दौरान किए गए आनुसांगिक खर्च के मद में प्रार्थी कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

71. परिवहन के मद में राशि हेतु प्रार्थी की ओर से कोई परिवहन बिल प्रदर्शित नहीं कराया गया है, अतः इस मद में प्रार्थी को कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित नही है।

कमशः

72. प्रार्थी की ओर से प्रदर्श–168 के रूप में स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है, जिसमें 07 प्रतिशत स्थाई अपंगता होना चिकित्सक मंडल द्वारा प्रार्थी के बांये पैर में गंभीर चोट कारित चोट के आधार पर दर्ज की गई है एवं जिससे उसकी कार्य क्षमता कमी आयी है। हालांकि चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है किन्तु प्रार्थी की साक्ष्य के खंडन में विपक्षी की ओर से इस संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसे में यदि चिकित्सक को परीक्षित नहीं भी कराया है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। प्रार्थी की ओर से स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु निर्योग्यता के संबंध में जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है, याची की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसकी आय में किस प्रकार से 07 प्रतिशत कमी हो गई है, निश्चित ही शरीर के किसी भाग में गंभीर चोट आने के उपरांत किसी अंग विशेष की निर्योग्यता 07 प्रतिशत चिकित्सक मंडल द्वारा अंकित की गई है, ना कि आहत के संपूर्ण शरीर की 07 प्रतिशत निर्योग्यता, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि आहत की आय में 07 प्रतिशत की कमी हुई हो, इस प्रकार आहत प्रियांश के उक्त स्थाई निर्योग्यता के कारण भविष्य की आय में **04 प्रतिशत** की कमी होना तय पाई जाती है।

73. प्रार्थी की आयु के संबंध में उसकी ओर से याचिका में अपनी आयु 03 वर्ष होना अंकित किया गया है, फोटो प्रति आधार में प्रार्थी की जन्मतिथि 28.12.2018 अंकित है, जिससे वरवक्त दुर्घटना आहत की उम्र 02 वर्ष 04 माह होती है, ऐसे में अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उक्त दस्तावेजात् के मुताबिक आहत की दुर्घटना दिनांक को आयु 02 वर्ष 04 माह होना निर्णीत किया जाता है।

74. आय के संबंध में याची की ओर से याचिका में अंकित किया गया है कि वह अध्ययन करता था। हस्तगत प्रकरण में आहत की आयु 02 वर्ष 04 माह तय हुई है, जिससे स्पष्ट है कि आहत नाबालिग था, जिसका कथन स्वयं गवाह ए.ड. 01 मधुबाला ने भी अपने सशपथ कथनों में किया है।

75. चूंकि आहत विद्यार्थी था और उसकी आय को साबित नहीं किया जा सका है, ऐसे में बालकों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किशनगोपाल व अन्य बनाम लाल व अन्य **2014 (1) SCC 244** न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार काल्पनिक आय 30,000/– वार्षिक माना जाना न्यायोचित पाया जाता है, जिसकी **04** प्रतिशत के आधार पर 1,200/–रू वार्षिक प्रार्थी को आय की क्षति होने की संभावना मानते हुए प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

76. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत किशनगोपाल बनाम लाला व अन्य में मृतक बालक की मृत्यु के कारण माता–पिता को हुई क्षति के दृष्टिगत माता की उम्र 30 वर्ष होने के आधार पर न्यायिक दृष्टांत सरला वर्मा में निर्देशित गुणांक 17 को उपयोग में लेते हुए क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया। न्यायिक दृष्टांत किशनगोपाल बनाम

क्रमशः

लाला में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में भी चूंकि आहत बालक की माता की आयु याचिका में 30 वर्ष अंकित है, जिसके खंडन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसे में सरला वर्मा के दृष्टांत में निर्देशित गुणांक 17 उपयोग में लिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

77. वर्तमान प्रकरण में नाबालिग आहत की माता की आयु 30 वर्ष निर्णीत हुई है जिसके अनुसार 1,200 X 17 = **20,400/– रू** याचिकाकर्ता को आय के नुकसान के मद में विपक्षीगण से दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

78. इसके अतिरिक्त आहत प्रियांश को दुर्घटना में आई चोटों के कारण काफी पीडा, कष्ट एवं वेदना का सामना करना पड़ा ऐसे में उनके द्वारा भुगती गई पीडा, कष्ट एवं वेदना के मद में आहत को **25,000/–रू** दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

79. इस प्रकार प्रार्थी मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् अप्रार्थीगण से कुल– **10,000 + 5,841 + 20,400 + 25,000 = 61,241/–रू0 (अक्षरेः इकसठ हजार दो सौ इत्तलीस रुपये मात्र)** संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

80. इस प्रकार प्रार्थी प्रियांश मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् विपक्षीगण से कुल– **61,241/–रू0 (अक्षरेः इकसठ हजार दो सौ इत्तलीस रुपये मात्र)** तथा साथ ही याचिका प्रस्तुति की दिनांक 14.06.2022 से अदायगी तक उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

81. उक्त क्लेम याचिकाओं में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है तथा उपरोक्तानुसार ये विवाद बिन्दु याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णीत किए जाते हैं।

पंचाट

82. अतः याचिका संख्या 325/2022 गुन्नु बनाम संजीत कुमार वगैरा में प्रार्थिया गुन्नु मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् कुल **60,500/–रू0 (अक्षरेः साठ हजार पांच सौ रुपये मात्र),** याचिका संख्या 327/2022 मधुबाला बनाम संजीत कुमार वगैरा में प्रार्थिया मधुबाला मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् कुल **3,96,316/–रू0 (अक्षरे : तीन लाख छियानबे हजार तीन सौ सौलह रुपये मात्र),** याचिका संख्या 328/2022 महेन्द्र बनाम संजीत कुमार वगैरा में प्रार्थी महेन्द्र मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् कुल **3,000/–रू0 (अक्षरे तीन हजार रुपये मात्र)** व याचिका संख्या 326/2022 प्रियांश बनाम संजीत कुमार वगैरा में प्रार्थी प्रियांश मोटर दुर्घटना में स्वयं को कारित चोटों के बाबत् कुल

क्रमशः

61,241/–रू0 (अक्षरेः इकसठ हजार दो सौ इत्तलीस रुपये मात्र) विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं, साथ ही उक्त राशि पर प्रार्थीगण चारों याचिकाओं की प्रस्तुति दिनांक 14.06.2022 से अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी विपक्षीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

83. क्लेम याचिकाओं में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

84. विपक्षी बीमा कंपनी उपरोक्त अवार्डशुदा राशि न्यायाधिकरण के बैंक खाता संख्या–**667817010000001,** आई.एफ.एस.सी. कोड BKID0006678, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा हरे कृष्णा टावर, प्लाट नम्बर–1, बून्दी में जरिए **NEFT/R.T.G.S.** दो माह में जमा करवाकर 15 दिवस के अंदर न्यायाधिकरण को सूचना प्रेषित करेगी, साथ ही उक्त सूचना विपक्षी बीमा कपंनी द्वारा प्रार्थीगण को भी प्रेषित की जावेगी। उपरोक्त अवार्डशुदा राशि अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा अधिकरण में जमा किए जाने के पश्चात प्रार्थीगण को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के मार्फ्त निम्न प्रकार से भुगतान की जावे :–

क्र.सं.	क्लेम याचिका	नाम प्रार्थी/प्रार्थीगण	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	325/2022	गुन्नु पुत्री महेन्द्र आयु 05 वर्ष नाबालिग संरक्षक पिता महेन्द्र	–	60,500/–	वयस्क होने या शादी होने तक जो भी बाद में हो।
2.	327/2022	मधुबाला पत्नी महेन्द्र, आयु 30 वर्ष	1,96,316/–रुपये मय संपूर्ण अवार्ड राशि पर देय ब्याज।	1,00,000/– 1,00,000/–	01 वर्ष 02 वर्ष
3.	328/2022	महेन्द्र पुत्र रामेश्वर आयु 33 वर्ष	3,000/–रुपये	–	–
4.	326/2022	प्रियांश पुत्र महेन्द्र आयु 02 वर्ष नाबालिग संरक्षक पिता महेन्द्र	–	61,241/–	वयस्क होने तक

85. क्लेम याचिका संख्या 25/2022, 27/2022 व 26/2022 में एफ.डी.आर. पर देय त्रैमासिक ब्याज प्रार्थीगण भूपेन्द्र सिंह के बचत खाते में देय होगा एवं नाबालिग प्रार्थीगण गुन्नु व प्रियांश के सावधि खाते में जमाशुदा राशि पर देय ब्याज संरक्षक माता मधुबाला के बचत खाते में देय होगा। प्रार्थीगण के सावधि खातों पर नोट अंकित किया जावे कि अधिकरण की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का ऋण एवं अग्रिम राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

(पंकज नरूका)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
क्र.सं.–02, बून्दी।

86. निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को विवृत न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पंकज नरूका)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
क्र.सं.–02, बून्दी।